न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 98/05 (वाद)

GCMS No. : 2005/00001

अनवान

1. श्री अम्बालाल पिता फकीरचन्द्र धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

1/1 श्री निलेश पिता अम्बालाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

1/2 श्रीमती कैलाशी पत्नी प्रभुलाल धोबी निवासी सनवाड तहसील मावली।

1/3 श्रीमती उमाबाई पत्नी मुकेश कुमार धोबी निवासी म.न.ए40 सत्यम हॉस्पीटल के सामने रेल्वे मेडिकल कॉलोनी रेल्वे हॉस्पीटल जोधपुर।

1/4 श्रीमती शान्ताबाई बेवा अम्बालाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री अनिल पिता रमेश धोबी बविलायत पिता रमेशचन्द्र पिता हीरा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
2. श्री रमेशचन्द्र पिता हीरा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
3. श्री हरीश दत्तक पिता चुन्नीलाल धोबी निवासी सिक्का बी.सी.सी. सीमेन्ट फैक्ट्री के पास धुलाई की दुकान जिला जामनगर, गुजरात।
4. श्रीमती वरदी बेवा गणपतलाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

4/1 श्री ईश्वरलाल पिता गणपतलाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

4/2 श्रीमती इन्दिरा पुत्री गणपतलाल पत्नी बद्रीलाल धोबी निवासी राजनगर, नया बस स्टेण्ड के पास हाईवे पर जिला राजसमन्द।

5. श्री भेरूलाल पिता मांगीया धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री दिनेश पालीवाल, अधिवक्ता वादीगण।

2. श्री ललित वसीटा प्रतिवादी संख्या 1, 2

3. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 26.03.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ईण्टाली तहसील मावली में खतौनी संख्या 576 की अराजी नम्बर 2618 रकबा 0.07 सात बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

जो वर्तमान खतौनी में श्रीमती मांगी बेवा चुनिया धोबी निवासी ईण्टाली के खातेदारी अधिकार में अंकित है। श्रीमती मांगी बेवा चुनिया धोबी खातेदार का देहान्त तारीख 23.03.2004 ई. तेईस मार्च सन् दौ हजार चार ईस्वी को 85 वर्ष की उम्र में हो गया है वादी मृतक खातेदार श्रीमती मांगी बेवा चुनिया धोबी का सगा छोटा भाई हैं। श्रीमती मांगी बेवा चुनिया धोबी ने तारीख 24.02.2004 ईस्वी को वल्लभनगर तहसील परिसर में जाकर स्टाम्प खरीद कर उस पर वादी के पक्ष में एक वसीयत पत्र निष्पादित किया, उस वसीयत पत्र पर अपनी अंगुष्ठ निशानी की ओर अपने ही गांव के दो लोगो की साक्षीये इस पर दिलवायी तथा इस वसीयत पत्र को पब्लिक नोटेरी से तस्दीक भी कराया। वसीयत पत्र दिनांक 24.02.2004 ई. में श्रीमती मांगी बेवा चुनिया धोबी ने लिखा कि उसकी कृषि भूमि चल अचल समस्त सम्पती का स्वामी उसकी मृत्यु के पश्चात् वादी होगा। प्रतिवादी रमेश चन्द्र ने खातेदार श्रीमती मांगी बेवा चुनिया धोबी को पहले यह आश्वासन दिया कि वह उसकी सेवा चाकरी भरण पोषण करेगा अगर वह उसके नाबालिग पुत्र प्रतिवादी अनिल के पक्ष में वसीयत निष्पादित कर देवे। इस पर श्रीमती मांगी बेवा चुनिया धोबी ने विश्वास कर तारीख 15.01.2004 को श्रीमती मांगी बेवा चुनिया धोबी खातेदार ने एक वसीय पत्र प्रतिवादी श्री अनिल के पक्ष में निष्पादित कर दिया परन्तु प्रतिवादी रमेशचन्द्र और श्री अनिल ने श्रीमती मांगीबाई की सेवा चाकरी, भरण पोषण नहीं किया और इन्कार भी कर दिया इस पर श्रीमती मांगी बेवा चुनिया धोबी ने अपने वकील से एक सूचना पत्र दिनांक 20.02.2004 ई. को दिलाया तथा अनिल के पक्ष में करायी वसीयत पत्र को निरस्त कराया। इस प्रकार वादी अम्बालाल के पक्ष में तारीख 24.02. 2004 को जो वसीयत पत्र श्रीमती मांगी बेवा चुनिया धोबी ने निष्पादित किया वह अंतिम वसीयत पत्र हैं। जिस वजह से वादी अम्बालाल मौजा ईण्टाली की आराजी 2618 रकबा 0.07 बिस्वा का खातेदार श्रीमती मांगी बेवा चुनिया धोबी के देहान्त तारीख 23.03.2004 के पश्चात् खातेदार कृषक हो गया हैं।

2. यह कि प्रतिवादीगण श्रीमती वरदी ओर श्री भेरूलाल धोबी वादी एवं श्री अनिल के पक्ष में किए गए वसीयत पत्र को अस्वीकार करते है और वादगत भूमि विरासत से उनके खातेदारी की हो जाने का गलत कथन करते है जिस वजह से उन्हे भी पक्षकार मुकदमा बनाए [illegible]सी प्रकार प्रतिवादी हरीश स्वर्गीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

मांगी बेवा चुनिया धोबी का दत्तक पुत्र है इसलिए उसे भी पक्षकार मुकदमा बनाया गया हैं। स्वर्गीय खातेदार श्रीमती मांगी बेवा चुनिया धोबी वादी की सगी बहिन है व लगभग 19–20 वर्ष से विधवा थी वह विधवा होने के पश्चात् अपने भाई अर्थात् वादी के साथ ही निवास कर रही थी वह वादी की ही मदद से वादगत भूमि तथा उसकी अन्य भूमियों पर खेती करती रही है और श्रीमती मांगी के मरने के पश्चात् यह वादगत भूमि वादी के ही कब्जे काश्त भुगत भोग में हैं। प्रतिवादीगण के खिलाफ निषेधाज्ञा इस आशय की दी जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादगत भूमि पर वादी के कब्जे भुगत भोग में कोई व्यवधान नहीं करे, अतिक्रमण नहीं करे, वादी को शांतिपूर्वक काबिज रह कर कृषि कार्य करने देवे अन्यथा वादी शांतिपूर्वक अपनी वादगत भूमि पर काबिज रहकर पैदावार नहीं ले सकेगा, उसे अतुलनीय अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो में किया जाना संभव नहीं हैं। वाद हेतु तारीख 23.03.2004 ई. को पैदा हुआ जिस दिन मांगी बेवा चुन्नीलाल धोबी खातेदार का देहान्त हुआ।

3. अन्त में निवेदन किया कि मौजा ईण्टाली की आराजी नम्बर 2618 रकबा 0.07 सात बिस्वा को वादी के खातेदारी की घोषित करायी जावें। प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रदान करायी जावे कि वे वादगत भूमि पर अतिक्रमण नहीं करे, वादी को इस पर कृषि कार्य करने देवे। प्रतिवादीगण से वादी को वाद व्यय दिलाया जावें।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4, 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि मौजा ईण्टाली में आराजीयात का स्थित होना, राजस्व रेकार्ड में अंकन होना एवं दिनांक 23.03.2004 को श्रीमती मांगीबाई का देहान्त होने, मांगी बाई का वादी भाई होने का कथन स्वीकार हैं। मांगीबाई बेवा चुनिया धोबी ने दिनांक 24.02. 2004 को वल्लभनगर तहसील परिसर में जाकर स्टाम्प खरीद नहीं किये, न वादी के पक्ष में वसीयत पत्र निष्पादित किया, न गांव के लोगो से साखे दिलवायी, न पब्लिक नोटेरी से वसीयत को प्रमाणित करवाया। सही स्थिति इस प्रकार है कि श्रीमती मांगीबाई बेवा [illegible] जी धोबी मुझ प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

की बडी मां एवं प्रतिवादी संख्या 2 की दादी मां थी। श्रीमती मांगी बाई ने वादी के पक्ष में कभी कोई वसीयत पत्र निष्पादित नहीं किया, न उसमें साखे दिलायी, न वसीयत पत्र को नोटेरी से प्रमाणित कराया, न वह तहसील परिसर वल्लभनगर में गयी, न दस्तावेज लेखक से वसीयत पत्र लिखवाया न साक्षीयो के समक्ष साखे दिलायी, न वसीयत पत्र लिखवा निष्पादित किया। वादी ने मृतक मांगीबाई की सम्पति को हडपने की नियत से यह जाली वसीयत पत्र निष्पादित करा कर इसे असल की तरह काम में लिया जा रहा हैं। इस कुटरचित वसीयत पत्र के आधार पर वादी को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता हैं। वादी जिस वसीयत पत्र को बताकर यह वाद लाया है वो पूर्णतया जाली, दिखावटी होकर नुमाईशी है और ऐसे अवैध वसीयत पत्र के आधार पर वादी को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता हैं। दिनांक 24.02.2004 को मृतक मांगीबाई जीवित अवश्य थी लेकिन वह अपना दिमागी संतुलन खो चुकी थी, उसे न तो खाने का पता था, न पिने का पता था। मांगी बाई मरने से करीब सवा महिने पहले तक मात्र इशारा से ही समझती थी, मांगती थी लेकिन उसके बाद यानि मरने से पहले सवा महिने तक न तो वह इशारा करती थी और न ही सोचने, समझने की शक्ति रखती थी। ऐसी अवस्था में मांगीबाई वसीयत करने के योग्य ही नहीं थी तो वादी के पक्ष में वसीयत पत्र निष्पादित कराना, नोटेरी से प्रमाणित कराना, वल्लभनगर तहसील परिसर में जाकर दस्तावेज लिखाना एवं उस पर साखे दिलाना आदि वादी का कथन हास्यास्पद होकर आश्चर्यचकित हैं। मृतक मांगीबाई सवा महिने तक जीवन एवं मृत्यु के बीच की लड़ाई लड़ रही थी और दिनांक 15.01.2004 को वादी स्वयं ने प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में मृतक मांगीबाई एवं उसके पति की सेवा चाकरी प्रतिवादी संख्या 1 एवं उसके परिवार वालों ने की एवं मृतक मांगीबाई के पति चुन्नीलाल जी की थी सेवा चाकरी प्रतिवादी संख्या 1 एवं उसके परिवारजनों ने की है और चुन्नीलाल जी की यह ईच्छा थी कि वह इस सेवा के बदले प्रतिवादी रमेश को कुछ दे लेकिन समय बितता गया और उनकी ईच्छा मन में थी कि मृत्यु ने उनको गले लगाया, इससे कुछ समय पूर्व मृतक मांगीबाई को उन्होने यह ईच्छा प्रकट की थी कि प्रतिवादी संख्या 2 रमेश को इस सेवा का फल जरूर देना और [illegible] पति की ईच्छा के मध्यनजर मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

मांगीबाई ने सोच समझ कर विधिवत प्रतिवादी संख्या 1 (प्रतिवादी संख्या 2 के पुत्र) के पक्ष में वसीयत नामा 15.01.2004 को लिखवा निष्पादित किया जहां तक सेवा चाकरी का प्रश्न है तो प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 तथा उनके परिजन ने मृतक मांगीबाई की अन्तिम क्षण तक सेवा की, काज करियावर किया एवं जाति रिवाज अनुसार समस्त कार्यों को अन्जाम दिये लेकिन वादी चूंकि चालाक एवं चतुर व्यक्ति था और उसकी नियत खराब हुई तो उसने अपनी बहन की सम्पति को हडपने के लिए अपनी बहन के जाली हस्ताक्षर कर फर्जी वसीयतनामा तैयार किया। ऐसी स्थिति में कथित वसीयत के आधार पर वादी को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। न ही मृतक मांगीबाई की चल व अचल सम्पति पर वादी का कब्जा ही है। कब्जा प्रतिवादी संख्या 2 का 1 का वसीयत के आधार पर चला आ रहा हैं।

5. यह कि दिनांक 24.02.2004 को मांगीबाई ने जब कोई वसीयत पत्र निष्पादित ही नहीं किया तो उसकी मृत्यु के पश्चात् स्वामी वादी को बनाने का कथन अपने आप में आश्यर्चजनक है और मिथ्या होकर बनावटी हैं। वादी अम्बालाल ने मृतक मांगी बाई की सम्पति को हडपने के लिए झुठे कथन अंकित किये जबकि मृतक मांगीबाई ने प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में विधिवत दिनांक 15.01.2004 को वसीयत पत्र निष्पादित किया और मृतक मांगीबाई का वसीयत के बाद निर्धन हो जाने से वसीयत पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 मृतक मांगीबाई की सम्पति का एक मात्र स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है जिसमें वादी अथवा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं हैं। वादी ने मृतक मांगीबाई की सम्पति को छल एवं कपट से अपने नाम घोषित न तो कराने का अधिकारी है, न ही वह करा सकता है। प्रतिवादी हरिश को मृतक मांगीबाई ने न तो कभी गोद रखा, न ही उसने एवं उसके पति ने हरिश को कभी गोद लेने की ईच्छा जाहिर की, दिनांक 01.03.2004 को मांगीबाई ने हरिश को गोद नहीं रखा, न ही गोदनामा निष्पादित किया और न ही उसने गोदपुत्र का धर्म निभाया और जहां तक गोदनामा का प्रश्न है तो मृतक मांगीबाई का सगा भाई वादी है और उसका लडका यह हरिश हैं। कानूनन भाई का लडका बहन के गोद नहीं जा सकता है तथा गोद वही जा सकता है जिसका उस परिवार से ब्लड रिलेशन हो और ह[illegible] रिलेशन में नहीं आता है। हरिश

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

को मांगीबाई के भतीजा लगता है जो गोदनामा निष्पादित हुआ है उसमें गोद देने वालों में अम्बालाल एवं उसकी पत्नी साणीबाई की सहमति जरूरी है और साणी बाई जीवित होते हुए गोदनामा में उसकी सहमति नहीं है जिससे भी यह गोदनामा अवैध होकर शून्य प्रभावी है जिससे हरिश को पक्षकार गलत बनाया हैं। मांगीबाई की सेवा चाकरी एवं उसके पति चुनिया जी की सेवा चाकरी प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा शुरू से ही की जा रही है और उनकी जमीन पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 ही काश्त कर रहे है। वादी का न तो कोई प्रथम दृष्टया केस है, न ही उसके पक्ष में सुविधा संतुलन है ऐसी स्थिति में वादी हमारे विरूद्व किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञाा जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं। दिनांक 23.03.2004 को हमारे विरूद्व कोई बिनाय पैदा नहीं होती हैं। अन्त में निवेदन किया कि वादपत्र में वांछित अनुतोष वादी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है जिससे वादी का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावें।

6. विशेष कथन एवं काउन्टर वाद पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजी के अलावा आराजी नम्बर 2629 ओर भी है जिसको इस वाद में शामिल नहीं किया है जिससे वाद चलने योग्य नहीं हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पर मृतक मांगीबाई एवं उसके पति चुनिया जी के जीवनकाल से ही हम प्रतिवादी 1, 2 द्वारा उनकी सेवा चाकरी की जा रही है एवं हमारी इस सेवा से खुश होकर मृतक मांगीबाई ने दिनांक 15.01.2004 को मुझ अनिल के पक्ष में वसीयत पत्र लिखवा निष्पादित कर दिया और मांगीबाई का दिनांक 23.03.2004 को निधन हो जाने से वसीयत के आधार पर प्रतिवादी अनिल उनकी जायदाद का एक मात्र स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी हैं। वादी ने 24.02.2004 को जाली वसीयत पत्र तैयार कर यह वाद लेकर आया है जबकि एक तरफ तो उसने अपने स्वयं के नाम पर वसीयत पत्र होने की बात करता है जिससे ही वादी की नियत बदनियति की है जो स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। प्रतिवादी अनिल आराजी नम्बर 2618 के सम्पूर्ण हिस्से का एवं आराजी नम्बर 2629 के 1/3 हिस्से का एवं इन आराजीयात के अलावा आराजी नम्बर 824, 2612, 2613, 2614, 2615, 2637 में से 1/9 हिस्से का मृतक मांगीबाई के बजाय एक मात्र खातेदार काश्तकार बन चुका हैं। वादी धानासुता जिला रतलाम एम.पी. का रहने वाला हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

7. यह कि बिनाय काउन्टर क्लेम विरूद्व वादी दिनांक 02.07.2005 को पैदा हुआ जब कि वादी ने एक अन्य वाद इसी न्यायालय में ओर संस्थित कर दिया तब से निरन्तर जारी है। अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व वादी निम्न आशय की डिक्री प्रदान करायी जावे कि उक्त वर्णित आराजीयात एवं विशेष कथन एवं काउन्टर क्लेम में वर्णित आराजीयात का मृतक मांगीबाई के बजाय वसीयत पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 को घोषित फरमाया जावे, तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जावें। काउन्टर क्लेम का व्यय दिलाया जावें।

8. **प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम** पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजीयात का होना व प्रतिवादी संख्या 3 की दत्तक माता श्रीमती मांगीबाई बेवा चुनिया धोबी का स्वर्गवास होने का तथ्य स्वीकार है परन्तु श्रीमती मांगीबाई को उक्त वसीयत पत्र के द्वारा पैतृक सम्पति की वसीयत करने का अधिकार कानूनन नहीं था वो केवल अपनी स्वअर्जित आय से खरीदी हुई सम्पति की वसीयत कर सकती थी तथा उसको स्वअर्जित सम्पति से खरीदी हुई चल–अचल सम्पति को वसीयत करने का अधिकार था। श्रीमती मांगीबाई को नाबालिग अनिल के पक्ष में वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था और उक्त वसीयत मांगीबाई की अंतिम नहीं थी क्योंकि उन्होने अपनी जीवनकाल में वादी को नई वसीयत लिखकर अनिल के पक्ष में लिखी हुई वसीयत को निरस्त कर दी थी। मांगीबाई को कानूनन वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादी संख्या 3 हरीश स्वर्गीय मांगीबाई का दत्तक पुत्र हैं। स्वर्गीय मांगीबाई ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 3 को गोद रखा था और मांगीबाई को स्वर्गीय पति चुनिया जी ने प्रतिवादी संख्या 3 हरिश को उनके जीवनकाल में गोद रखने का निर्देश दिया था और उसी निर्देश से प्रतिवादी संख्या 3 को मांगीबाई ने गोद रखकर दिनांक 01.03.22004 को गोदनामा उप पंजीयक सनवाड के कार्यालय में रजिस्ट्री करवा दी और प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती मांगीबाई व श्री चुनिया जी का गोदीना पुत्र है उनकी सम्पति का कानूनन वारिस है वादी श्री अम्बालाल जी ने प्रतिवादी संख्या 3 को स्व. मांगीबाई के गोद रखा था इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 स्व. मांगीबाई का गोदीना पुत्र है व स्वर्गीय चुनिया जी उर्फ चुन्नीलाल [illegible] मांगीबाई का कानूनन उत्तराधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

होकर उनकी चल अचल सम्पति का मालिक हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादी का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

9. **काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि** प्रतिवादी संख्या 3 हरिश को श्रीमती मांगीबाई पत्नी स्वर्गीय चुनिया जी उर्फ चुन्नीलाल जी धोबी निवासी ईण्टाली ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 3 हरिश को गोद रखा था और गोदनामा की रजिस्ट्री दिनांक 01.03.2004 को श्रीमती मांगीबाई ने प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में रजिस्ट्री करवा दी थी और जाति रिति रिवाज के अनुसार सामाजिक तरीके से श्री स्वर्गीय चुनिया उर्फ चुन्नीलाल जी की पगडी प्रतिवादी संख्या 3 के बंधवायी थी प्रतिवादी संख्या 3 मांगीबाई व स्व. चुनिया उर्फ चुन्नीलाल जी का गोदीना पुत्र है इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती मांगीबाई व स्व. चुनिया उर्फ चुन्नीलाल जी का गोदीना पुत्र है। इसलिए उनका उत्तराधिकारी होने से श्रीमती मांगीबाई के खातेदारी एवं कब्जे की चल–अचल सम्पति का वारिस काबिल जायदाद है इसलिए स्वर्गीय मांगीबाई के हिस्से की जो आराजीयात है उसका खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी हैं।

10. अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 हरीशकुमार का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे। हरीश कुमार का स्वर्गीय मांगीबाई पत्नी स्व. चुनिया उर्फ चुन्नीलाल जी के खातेदारी कब्जे की आराजीयात का उनके स्थान पर खातेदार काश्तकार उनके हिस्से का घोषित फरमाया जावे व राजस्व रेकार्ड में श्रीमती मांगीबाई पत्नी स्व. चुनिया उर्फ चुन्नीलाल जी के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किए जाने की डिक्री प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में जारी फरमाई जावे व अन्य दादरसी धारा 209 रा.टी.एक्ट के तहत पाने का अधिकारी हो दिलवाई जावे व खर्चा दिलाया जावें।

11. **अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के काउन्टर क्लेम का जवाब पेश** कर निवेदन किया कि तारीख 24.02.2004 को अम्बालाल अपनी बहिन के कहने से वल्लभनगर गया जहां से श्री मनोजकुमार पिटीशन राईटर, स्टाम्प वेण्डर और पब्लिक नोटेरी एडवोकेट श्री विनोद कुमार ओस्तवाल को गांव ईण्टाली लेकर आया। श्री मनोज पोखरना ने वादी अम्बालाल की बहिन श्रीमती मांगीबाई बेवा श्री चुन्नीलाल जी धोबी के कहे अनुसार वादी के पक्ष में स्टाम्प पेपर पर वसीयत पत्र लिखा। जि[illegible]त पत्र को लिखने बाद श्रीमती

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल धोबी को पढकर सुनाया। जिसके बाद इस पर मांगीबाई की अंगुष्ठ निशानी लगवायी और वसीयत पत्र पर ईण्टाली के दो व्यक्तियों की साखे लगवायी और फिर साखों के नीचे श्रीमती मांगीबाई की अंगुष्ठ निशानी अंकित करवायी। जिसके बाद एडवोकेट विनोद कुमार ओस्तवाल वल्लभनगर ने इस वसीयत पत्र को ईण्टाली में ही सत्यापित करवाया। इस दिन श्रीमती मांगी अशक्त जरूर थी किन्तु शरीर से मन बुद्धि से पूर्णतः स्वस्थ थी। अपना खटकर्म शौच, निवृत होना, बिस्तर पर सोना, उठना, नहाना, भोजन करना, वगैरा कार्य स्वयं कर लेती थी और घर में इधर उधर घूम लेती थी अपना भोजन भी बना लेती थी। जो वसीयत पत्र उसने तारीख 24.02.2004 को श्रीमती मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल धोबी ने निष्पादित किया। वह न तो बनावटी था, न कुटरचित था। यह तारीख 24.02.2004 ई. का श्रीमती मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल जी धोबी की वादी के पक्ष में वास्तविक अंतिम वसीयत थी। प्रतिवादी अनिल या उसके पिता ने श्रीमती मांगीबाई की कोई सेवा चाकरी नहीं की। जिन्हे वादी ने कई बार सेवा करने की कही तो दोनो मांगीबाई व वादी दोनो से बुरी तरह पेश आए और कहा कि उनके पास पैसा नहीं है और है तो वे खर्च नहीं करेंगे। सारी सेवा चाकरी केवल वादी ने अपनी बहिन को अपने पास कई वर्षो तक रख कर की हैं। प्रतिवादी का यह कथन है कि स्वर्गीय चुन्नीलाल की सेवा चाकरी उन्होने की, सर्वथा झुठा कथन हैं। ये सेवा भावी है ही नहीं। इन्होने मांगीबाई व चुन्नीलाल दोनों में से किसी की सेवा नहीं की है। प्रतिवादी अनिल के पक्ष में श्रीमती मांगीबाई ने वसीयत पत्र अवश्य निष्पादित किया था किन्तु उस पर भी अनिल व उसके पिता ने श्रीमती मांगीबाई की कोई सुध नहीं ली। वादी के द्वारा इन्हे कहने पर ये वादी एवं श्रीमती मांगीबाई से गलत ढंग से पेश आए, जिस पर वकील से नोटिस दिलाकर इनके पक्ष में किया वसीयत पत्र खारिज कराया और वादी के पक्ष में तारीख 24.02.2004 को अंतिम वसीयत पत्र निष्पादित कराया। श्रीमती मांगीबाई की कृषि भूमि, मकान का वसीयत के आधार से वादी स्वामी है और अपनी बहिन मांगीबाई के जीवनकाल से ही काबिज है। प्रतिवादी का इस भूमि, मकान, बाडा पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

12. यह कि वादी के पक्ष में निष्पादित वसीयत पत्र अंतिम वसीयत पत्र को छल एवं कपटपूर्ण निष्पादित दस्तावेज बताया है जो सर्वथा गगलत हैं। श्रीमती मांगीबाई द्वारा श्री हरिश को गोद रखने के तथ्या को अस्वीकार किया है। श्री हरिश स्वंय प्रतिवादी हैं। हरिश के बारे में वादी ने सही कथन किया है और प्रतिवादी संख्या 1, 2 गलत कथन कर रहे है। ऐसा कोई कानून में रोक नहीं है कि हरिश श्रीमती मांगीबाई के गोदन रहने के अयोग्य हो। श्रीमती मांगीबाई व हरिश दोनो धर्म से हिन्दू है व हिन्दू एडोपशन एण्ड मेन्टीनेशन एक्ट के अनुसार यह गोद वर्जित नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने श्रीमती मांगीबाई व उनके पति चुन्नीलाल की कभी भी सेवा चाकरी नहीं की बल्कि श्रीमती मांगीबाई अपने बुढापे में वादी (भाई) के पास रही है और वादी ने उसकी अंतिम समय तक सेवा चाकरी, दवा दारू की हैं। मौजा ईण्टाली की आराजी नम्बर 2629 को इस वाद में सम्मिलित नही करने का दोष माना हैं। निवेदन है कि इस आराजी का वाद पक्षकारों के मध्य अन्य 26 सहभागीयों के साथ अलग से इस न्यायालय में लम्बित है जिसका मुकदमा नम्बर 99/05 वाद पत्र है। इसलिए इस वाद में कोई असंयोजन का दोष नहीं हैं। प्रतिवादीगण ने वादी के पक्ष में निष्पादित वसीयत पत्र को जाली वसीयत पत्र होने का तथा वादगत भूमि पर प्रतिवादीण अपने कब्जे की होने का झुठा कथन कर रहे हैं। प्रतिवादीगण का सारा कथन गलत व कपोल कल्पित हैं। वादी कई वर्षो से ईण्टाली में बसा हुआ है वादगत भूमि केवल वादी के कब्जे भुगतभोग में हैं।

13. प्रतिवादीगण को तारीख 02.07.2005 को या अन्य किसी दिन बिनाया वाद पैदा नहीं होता हैं। प्रतिवादीगण कोई भी दाद प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं। वादगत भूमि को अनिल अपने खातेदारी की घोषित कराने का अधिकारी नहीं है क्योंकि अनिल के पक्ष का वसीयत पत्र खारिज हो चुका है और वादी के पक्ष में निष्पादित वसीयत पत्र अंतिम वसीय पत्र है जिस वजह से वाद पत्र के अनुसार वादगत भूमि वादी के खातेदारी में घोषित होनी चाहिए। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 का प्रतिवाद पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। श्रीमती मांगीबाई की वादगत भूमि स्वअर्जित नहीं थी सो वह इस भूमि का वसीयत करने योग्य नहीं थी। प्रतिवादीगण के इस कथन का कोई कानूनी आधार नहीं है क्योंकि वादगत भूमि की श्रीमती मांगीबाई पूर्ण स्वामी थी तो उसे अपनी भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

की वसीयत करने का अधिकार था। उसके पास उसके स्वर्गीय पति की विरासत से प्राप्त हुई थी। कुछी भी हो वादीया वादगत भूमि की वसीयत करने के समय पूर्ण स्वामी थी। इसलिए वसीयत करने में कोई रोक नहीं थी न हो ही सकती थी। मांगीबाई ने हरिश प्रतिवादी के पक्ष में ऐसा कोई अनुबन्ध नहीं किया था कि वह भविष्य में अपनी सम्पति का अन्तरण या वसीयत नहीं करेगा। जिसके अभाव में वह अपनी सम्पति की वसीयत लिख सकती थी और अन्य प्रकार से अन्तरण भी कर सकती थी। जिस वजह से उसके द्वारा निष्पादित वसीयत पत्र गैर वाजिब प्रभाव शून्य नहीं कहा जा सकता हैं। वादी के पक्ष में निष्पादित वसीयत पत्र अंतिम जायज वसीयत पत्र हैं। हरिश वादगत भूमि का खातेदार नहीं है न हो ही सकता हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का प्रतिवाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

14. **प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया** कि हम वादीगण/प्रार्थीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य लोक अदालत की भावना से आपस में राजीनामा हो चुका है और अब कोई विवाद शेष नहीं जिससे हम वादीगण/प्रार्थीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण सहमत हुए कि प्रतिवादी संख्या 3 श्री हरिश दत्तक पुत्र श्री चुन्नीलाल जी धोबी के पक्ष में हुए गोदनामा को हम पक्षकारान स्वीकार करते है एवं गोदनामा के आधार पर चुन्नीलाल जी की पत्नी मांगगीबाई के नाम पर वाद वर्णित आराजीयात को प्रतिवादी हरीश जो कि दत्तक पुत्र है के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन करने हेतु सहमति प्रदान करते है एवं उक्त आधार पर न्यायालय में विचाराधीन वाद डिक्री फरमाया जावे एवं उक्त प्रकरण को राजीनामा के आधार पर फैसल कर डिक्री कर राजीनामा अनुसार डिक्री जारी किये जाने की कृपा करावें। अन्त में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में राजीनामा को तस्दीक किया जाकर राजीनामा की अनुमति प्रदान कर प्रकरण को आज ही राजीनामा के आधार पर फैसल कर डिक्री कर राजीनामा अनुसार डिक्री फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावें। हम प्रतिवादीगणों को राजीनामा स्वीकार है एवं हर्जे खर्चे का कोई एतराज नहीं हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

15. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की राजीनामें पर बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामें अनुसार वाद डिक्री किया जाने का निवेदन किया।

16. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। राजीनामें का अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2060–63 के खाता संख्या 576 पर दर्ज आराजी नम्बर 2618 किता 1 कुल रकबा 7 बिस्वा भूमि में मांगी बेवा चुनिया के नाम दर्ज है। यह तथ्य तो निर्विवादित है कि खातेदार मांगी बेवा चुनिया का निधन हो चुका है। क्यों कि उक्त तथ्य को उभय पक्षकारान द्वारा स्वीकार किया गया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वसीयत के आधार पर भूमि दर्ज करवाना चाहा।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि खातेदार मांगी पत्नी चुन्नीलाल/चुनिया द्वारा अपनी जीवनकाल में रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 01.03.2004 से प्रतिवादी संख्या 3 श्री हरीश दत्तक पुत्र श्री चुन्नीलाल धोबी को गोद रखा। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित दोनो वसीयत अनरजिस्टर्ड है। उक्त दोनो वसीयत अनरजिस्टर्ड होने से इनकी सत्यता के संबंध में विचार किया जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। रजिस्टर्ड दस्तावेज/गोदनामा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में है। रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 खातेदार मांगी पत्नी चुन्नीलाल/चुनिया का पुत्र है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत किसी खातेदार की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति विरासत से उसके प्रथम श्रेणी के वारिस अर्थात पुत्र व पुत्रियों में निहित होगी। इस प्रकार इस प्रकरण में भी खातेदार मांगी पत्नी चुन्नीलाल/चुनिया के निधन के पश्चात उसके नाम दर्ज हिस्सा भूमि उसका दत्तक पुत्र प्रतिवादी संख्या 3 में निहित हुई।

प्रकरण में खातेदार मांगी पत्नी चुन्नीलाल/चुनिया के हिस्से को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा ही क्लेम किया गया था। उनके द्वारा भी राजीनाम प्रस्तुत कर स्वीकार कर लिया गया है कि खातेदार मांगी पत्नी चुन्नीलाल के हिस्से को उसके दत्तक पुत्र के नाम दर्ज की जाती है तो उन्हें

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

कोई आपत्ति नही है। अन्य किसी पक्षकार द्वारा उक्त भूमि के संबंध में काउण्टर वाद प्रस्तुत नही किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. स्वीकार किया डिक्री किया जाता है कि मौजा ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2060–63 के खाता संख्या 576 पर दर्ज आराजी नम्बर 2618 किता 1 कुल रकबा 7 बिस्वा भूमि मांगी बेवा चुनिया के नाम दर्ज है, के बजाय प्रतिवादी संख्या 3 श्री हरीश दत्तक पुत्र चुन्नीलाल धोबी को खातेदार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 98/05 (वाद)

GCMS No. : 2005/00001

उनवान्

1. श्री अम्बालाल पिता फकीरचन्द्र धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
1/1 श्री निलेश पिता अम्बालाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
1/2 श्रीमती कैलाशी पत्नी प्रभुलाल धोबी निवासी सनवाड तहसील मावली।
1/3 श्रीमती उमाबाई पत्नी मुकेश कुमार धोबी निवासी म.न.ए40 सत्यम हॉस्पीटल के सामने रेल्वे मेडिकल कॉलोनी रेल्वे हॉस्पीटल जोधपुर।
1/4 श्रीमती शान्ताबाई बेवा अम्बालाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री अनिल पिता रमेश धोबी बविलायत पिता रमेशचन्द्र पिता हीरा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
2. श्री रमेशचन्द्र पिता हीरा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
3. श्री हरीश दत्तक पिता चुन्नीलाल धोबी निवासी सिक्का बी.सी.सी. सीमेन्ट फैक्ट्री के पास धुलाई की दुकान जिला जामनगर, गुजरात।
4. श्रीमती वरदी बेवा गणपतलाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
4/1 श्री ईश्वरलाल पिता गणपतलाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
4/2 श्रीमती इन्दिरा पुत्री गणपतलाल पत्नी बद्रीलाल धोबी निवासी राजनगर, नया बस स्टेण्ड के पास हाईवे पर जिला राजसमन्द।
5. श्री भेरूलाल पिता मांगीया धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. स्वीकार किया डिक्री किया जाता है कि मौजा ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2060–63 के खाता संख्या 576 पर दर्ज आराजी नम्बर 761 किता 1 कुल रकबा 7 बिस्वा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

मांगी बेवा चुनिया के नाम दर्ज है, के बजाय प्रतिवादी संख्या 3 श्री हरीश दत्तक पुत्र चुन्नीलाल धोबी को खातेदार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.03.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested